

GOVERNMENT OF RAJASTHAN.

DEPARTMENT OF EDUCATION.

24

No. EDB/AJA/95/56-57/72

Dt. Bikaner the 29th Oct., 1956.

To

1. All Deputy Directors of Education, Jaipur/Jodhpur/Udaipur & Social Education.
2. All Inspectors of Schools & Deputy Inspectors of Schools
3. All Deputy Inspectresses of Girls Schools
4. The Inspector of Sanskrit Pathshalas, Jaipur.

Sub:- Registration of schools and libraries etc. under the Societies Registration Act.

According to the new grant in aid rules registration of the Societies running the institutions ( and not the institutions itself) are to be registered.

The registration under societies Registration Act 1860 is done by the Registrars of Companies, Rajasthan and Ajmer, Jaipur.

GPP:Vyas:  
29.10.56.

*M. S. D.*  
Director of Education,  
Rajasthan, Bikaner.

No. EDB/AJA/95/56-57/72

Dt. Bikaner the 29th Oct., 1956.

Copy forwarded to the Heads of all aided institutions for information.

*M. S. D.*  
Director of Education,  
Rajasthan, Bikaner.

No. EDP/E2/56-57/12617

Dated - 1956.

Forwarded in original to The Headmaster  
Sukhali Shiksha Sadan, Ranawas for infor-  
mation and necessary action.

*M. S. D.*  
Distt. Inspector of Schools  
PALI

File

14

प्रमाण -

सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
राजस्थान, अजमेर

Office  
1. Check the original  
2. Send copy of original  
Secretary  
10/7/73

दिनांक -

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

श्री सुमति शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय

प्रमाण - क्र- 69/ राणावास (पाली) 22637

दिनांक - 28-8-72

उद्देश्य - आपके विद्यालय का स्थिति जांचना हेतु अतिरिक्त पत्र

सर्वोत्तम/प्रदेशीय

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न करते हुए निवेदन है कि आपके विद्यालय को प्रस्ताव में दिये हुए विषयों में और प्रतिवर्षी परीक्षा 1971 के आगे मातृता प्रदान कर दी गई है।

आप कृपया प्रस्ताव में उल्लिखित परिणामों की पूर्ति शीघ्र करने की व्यवस्था करें एवं इसकी पूर्ति रिपोर्ट निदेशक, माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर के दृष्टिकोण इस कार्यालय में मार्च 1973 तक आगम्य भिजवा दें।

संलग्न - उपरोक्त

सचिव,  
राजस्थान  
सहायक सचिव  
[Signature]

प्राप्तिका संख्या - 345

दिनांक -

प्रतिनिधि निम्न को राजगार्थ एवं आनंदक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर
- 2- संयुक्त/उप निदेशक शिक्षा, (महिलाएँ)
- 3- विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका

संलग्न - प्रस्ताव की एक प्रति

[Signature]  
प्रधानाचार्य  
श्री सुमति शिक्षा सदन  
उच्च माध्यमिक विद्यालय  
राणावास (पाली)

सहायक सचिव

10/7/73

[Signature]  
प्रधानाचार्य  
श्री सुमति शिक्षा सदन  
उच्च माध्यमिक विद्यालय  
राणावास (पाली)

4- श्री सुमति शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय, का निम्न विषय :-

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1- अनिवार्य विषय                | हिन्दी, अंग्रेजी ।   |
| 2- क्लास एवं उद्योग के अन्तर्गत | कताई व बुनाई, हिन्दी टंकणलिपि<br>अंग्रेजी टंकणलिपि ।   |
| 3- तृतीय भाषा                   | संस्कृत  |
| 4- क्लास वर्ग के अन्तर्गत       | पारम्भिक अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र<br>इतिहास ।   |
| 5- विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत     | भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित   |
| 6- वाणिज्य वर्ग के अन्तर्गत     | बहोखाता, व्यापार पद्धति ज्ञान,<br>आर्थिक व्यापारिक भूगोल, हिन्दी टंकणलिपि<br>अंग्रेजी टंकणलिपि । |

हायर सेकण्डरी परीक्षा 1971 में अस्थाई मान्यता हेतु आवेदन पत्र पर विचार कर अनुसंधान के लिए निर्णय लिया कि उपरोक्त विद्यालय को -

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1- अनिवार्य विषय                | हिन्दी, अंग्रेजी ।   |
| 2- क्लास एवं उद्योग के अन्तर्गत | कताई बुनाई, हिन्दी टंकणलिपि<br>अंग्रेजी टंकणलिपि ।                     |
| 3- तृतीय भाषा                   | संस्कृत  |
| 4- क्लास वर्ग के अन्तर्गत       | पारम्भिक अर्थ शास्त्र, नागरिक शास्त्र,<br>इतिहास                       |
| 5- विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत     | भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित                                     |
| 6- वाणिज्य वर्ग के अन्तर्गत     | बहोखाता, व्यापार पद्धति ज्ञान, हिन्दी टंकण<br>लिपि, अंग्रेजी टंकणलिपि, |

को हायर सेकण्डरी परीक्षा 1971 से निम्न शर्तों से स्थाई मान्यता दे दी जाय -

- 1- क्लास वर्ग को पढ़ाने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त वरिष्ठ अध्यापक को नियुक्ति शीघ्र की जाय ।

सत्यापित प्रतिलिपि

ATTESTED

*Z. Ramesh*  
प्रधानाचार्य

श्री सुमति शिक्षा सदन  
उच्च माध्यमिक विद्यालय  
राणावास (पाली)

प्रधानाचार्य  
श्री सुमति शिक्षा सदन  
उच्च माध्यमिक विद्यालय  
राणावास (पाली) 306 023

ATTESTED

*अजय शर्मा*

प्रधानाचार्य  
श्री सुमति शिक्षा सदन  
उच्च माध्यमिक विद्यालय  
राणावास (पाली) 306 023

मान्यता कोड : RJPAL27889

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)PALI, राजस्थान

क्रमांक: शिक्षा / मु.पा. / सामान्य (मान्यता) / 2019 / 574 दिनांक 26.04.19

सचिव

प्रबंध समिति

SUMATI S.S. HR. SEC. RANAWAS

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 30365 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, SUMATI S.S. HR. SEC. RANAWAS पता RANAWAS STATION, MALSA BAVADI MARWAR JUNCTION ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय MALSA BAVDI ब्लॉक MARWAR JUNCTION को शैक्षणिक सत्र 2019-20 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

अतिरिक्त विषय के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार कक्षा 11 एवं 12 में संचालित संकाय एवं विषय का विवरण	
विज्ञान संकाय	Physics (Science Stream), Chemistry (Science Stream), Biology (Science Stream), Mathematics (Science Stream)
कला संकाय	Economics (Arts Stream), Political Science, History
स्वीकृत अतिरिक्त विषय का विवरण	
कला संकाय	Geography, Hindi Literature, Home Science

मान्यता कोड : RJPAL27889

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

मान्यता कोड : RJPAL27889

5742  
26.04.19

जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, पाली

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (गुरुप5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 4 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,..... संभाग.....।
- 5 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, पाली

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
अजमेर



प्रेषक :-

सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,  
अजमेर

प्रेषित :-

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या,  
श्री सुमति शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय,  
राणावास,  
जिला-पाली (राज०)

क्रमांक - मान्यता / 69/2008 / R-5735-5750 दिनांक 29 SEP 2008

**अस्थायी मान्यता पत्र**

महोदय/महोदया,

आपके विद्यालय को शिक्षा विभाग द्वारा की गयी क्रमोन्नति एवं बोर्ड से नियुक्त निरीक्षण दल द्वारा की गयी अनुशंसाओं अनुसार मान्यता समिति / बोर्ड द्वारा विचार कर निम्नांकित विषयों एवं पृष्ठ भाग में मुद्रित प्रपत्र प्रतिबन्धों पर वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा हेतु वर्ष ...2001.. से वर्ष ....2009.... तक अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

स्थायी मान्यता हेतु संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र इस कार्यालय में एक सितम्बर वर्ष ..... 2009 तक अवश्य भिजवा दें और इस समय तक वर्तमान में लगाए गए प्रतिबन्धों की पूर्ति हो जाना भी आवश्यक है।

विषय जिनमें अस्थायी मान्यता प्रदान की गई है :-

अनिवार्य विषय : हिन्दी, अंग्रेजी

विज्ञान - वर्ग जीव विज्ञान अतिरिक्त विषय।  
वर्ग \_\_\_\_\_  
वर्ग \_\_\_\_\_  
वर्ग \_\_\_\_\_

माध्यम - हिन्दी/ ~~अंग्रेजी~~

संलग्न - शर्तों की एक प्रति

भवदीय

*(Handwritten Signature)*

सहायक निदेशक (विधि)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान  
अजमेर

पृष्ठांकन संख्या - मान्यता /  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ प्रेषित :-